



बिहार सरकार  
परिवहन विभाग

सूचना

पत्रांक-04/STA.-(विविध)-01/2024 परि0-

पटना, दिनांक-

निदेशानुसार सूचित किया जाता है कि मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 68 की उपधारा-3(c-a) के तहत मुख्यमंत्री प्रखण्ड परिवहन योजना के अन्तर्गत अन्तर्क्षेत्रीय मार्गों को अधिसूचित किये जाने हेतु विभिन्न क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार/जिला परिवहन कार्यालयों से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में विभागीय सूचना पत्रांक-10103 दिनांक-26.12.2025 द्वारा सुझाव/आपत्ति हेतु परिवहन विभाग के वेबसाईट <http://state.bihar.gov.in/transport> पर प्रकाशित किया गया है।

उपर्युक्त के आलोक में प्राप्त सुझाव/आपत्ति की सुनवाई हेतु परिवहन विभाग, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना में राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार, पटना के कार्यालय कक्ष में दिनांक-05.02.2026 के अपराहन 03:00 बजे निश्चित रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

ह0/-

सचिव,

राज्य परिवहन प्राधिकार,

बिहार, पटना।

ज्ञापांक- 782

पटना, दिनांक- 02/02/2026

प्रतिलिपि:-सभी संयुक्त आयुक्त-सह-सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार/सभी जिला परिवहन पदाधिकारी, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

2. आई0टी0 मैनेजर, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि इसे अविलम्ब सर्वसाधारण की सूचना हेतु विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित किया जाय।

*Archana*  
02/02/26

सचिव,

राज्य परिवहन प्राधिकार,

बिहार, पटना।